

429

1/222/2017

पूर्वोत्तर रेलवे

कार्यालय
महाप्रबन्धक (कार्मिक)
गोरखपुर।

ई0पी0न0-50-26

क्रमांक-222/2017

आरबीई सं0-119/2017

स0 ई/575/1/भाग-दस/चार

सचिव/महाप्रबन्धक

सचिव/अपर महाप्रबन्धक

सभी विभागाध्यक्ष

सभी मण्डल रेल प्रबन्धक

सभी कार्मिक अधिकारी

सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक

सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना

पूर्वोत्तर रेलवे।

दिनांक 13-10-2017

विषय:- "राष्ट्रीय उच्च गति रेल कार्पोरेशन लिमिटेड" (एनएचएसआरसीएल), में प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले रेलवे अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अपनी पिछली तैनाती के स्थान पर रेलवे आवास अपने पास रखने की अनुमति देना।

रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या ई (जी) 2016 आरएन-2-1 दिनांक 04.09.2017 की अंग्रेजी एवं हिन्दी प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक/यथोपरि

(यू0 पी0 सिंह)

उपमुकाधि/अराज.

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महामंत्री/एन.ई.रेलवे मजदूर यूनियन/गोरखपुर - 40 प्रतियों में।
- 2- महामंत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूउरे/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 3- महामंत्री/रेसुब एशोसियेशन/पूउरे/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 4- पूर्वोत्तर रेलवे प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ/गोरखपुर - 01 प्रति में।
- 5- महामंत्री/एससी/एसटी एवं ओबीसी एशोसियेशन/गोर0-02 प्रतियों में।
- 6- मुकार्यावी/एमपीपी को बेबसाइट पर अपलोड हेतु - 01. प्रति में।

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)
MINISTRY OF RAILWAYS (RAIL MANTRALAYA)
(RAILWAY BOARD)

No.E(G)2016 RN-2-1

New Delhi, Dated: 04.09.2017

**The General Manager/Director General,
All Indian Railways/Production Units/RDSO-Lucknow.
(as per standard mailing list)**

Sub: Permission to retain Railway accommodation at the place of previous posting by Railway officers/staff going on deputation to "National High Speed Rail Corporation Limited" (NHSRCL).

The request received from NHSRCL, a newly formed Public Sector Undertaking (PSU) of the Ministry of Railway, to allow facility of retention of Railway accommodation at the place of previous posting to Railway officers/staff posted on deputation basis with them has been considered by Railway Board.

2. In exercise of the powers to make reasonable relaxation in public interest in all or any of the provisions regarding Railway house allotment/retention for a class/group of employees, full Board in accordance with Railway Board's letter No.E(G)2000 QR1-23 dated 01.06.2001 (RBE No.100/2001), has decided that Railway officers/staff who have joined or will be joining on deputation to NHSRCL, may be permitted to retain their Railway accommodation at the place of their previous posting for a period of 5 years from the date of incorporation of the PSU i.e. 12.02.2016.

3. This issues with the concurrence of Finance Directorate of the Ministry of Railways.

4. Please acknowledge receipt.

(Sanjay Gauri)

Deputy Director Estt.(Genl.)-II
Railway Board

No.E(G)2016 RN-2-1

New Delhi, Dated: 04.09.2017

1. FA&CAO, all Indian Railways and Production Units.
2. Joint Director (Finance) RDSO, Lucknow.
3. Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No.224, Rail Bhawan, New Delhi.(copy with 46 spares)

For Financial Commissioner/Railways

3
222/2017

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड)/(RAILWAY BOARD)

सं. ई(जी) 2016 आरएन-2-1

नई दिल्ली, दिनांक: 04.09.2017

महाप्रबंधक/महानिदेशक,

सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयाँ/अ.अ.मा.सं.- लखनऊ,

(मानक डाक सूची के अनुसार)

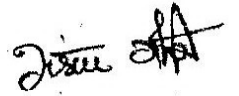
विषय: "राष्ट्रीय उच्च गति रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड" (एनएचएसआरसीएल) में प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले रेलवे अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अपनी पिछली तैनाती के स्थान पर रेलवे आवास अपने पास रखने की अनुमति देना।

रेल मंत्रालय के नव गठित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) एनएचएसआरसीएल में प्रतिनियुक्ति के आधार पर तैनात रेलवे अधिकारियों/कर्मचारियों को पिछली तैनाती के स्थान पर रेलवे आवास को अपने पास रखने की सुविधा प्रदान करने के अनुरोध पर रेलवे बोर्ड द्वारा विचार किया गया है।

2. रेलवे बोर्ड के दिनांक 01.06.2001 के पत्र सं. ई(जी)2000 क्यूआर1-23 (आरबीई सं. 100/2001) के अनुसार संपूर्ण बोर्ड ने कर्मचारियों की श्रेणी/ग्रुप के लिए रेलवे आवास के आबंटन/इसे अपने पास रखने से संबंधित सभी अथवा किन्हीं प्रावधानों में जनहित में समुचित रियायत देने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्णय लिया है कि उन रेलवे अधिकारियों/कर्मचारियों जिन्होंने प्रतिनियुक्ति के आधार पर एनएचएसआरसीएल में पदभार ग्रहण कर लिया है अथवा ग्रहण करेंगे, को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के निगमीकरण की तारीख अर्थात् 12.02.2016 से 5 वर्ष की अवधि के लिए उनकी पिछली तैनाती के स्थान पर रेलवे आवास को अपने पास रखने की अनुमति प्रदान की जाए।

3. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

4. कृपया पावती दें।



(संजय गौरी)

उप निदेशक, स्थापना(सा.)-II

रेलवे बोर्ड

सं. ई(जी) 2016 आरएन-2-1

नई दिल्ली, दिनांक: 04.09.2017

1. प्रधान वित्त सलाहकार, सभी भारतीय रेलें तथा उत्पादन इकाइयां।

2. संयुक्त निदेशक (वित्त), अ.अ.मा.सं., लखनऊ।

3. भारत के उप नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (रेलें), कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली को प्रेषित (46 अतिरिक्त प्रतियाँ सहित)



कृत वित्त आयुक्त/रेलें